भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2517

उत्तर देने की तारीख-18/12/2023

भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों के परिसर

†2517. श्री सुब्रत पाठक:
श्री जयंत सिन्हा:
श्री सुनील कुमार सिंहः
श्री अण्णासाहेब शंकर जोल्ले:
श्री मनोज तिवारीः
एडवोकेट अदूर प्रकाश:
डॉ. मनोज राजोरिया:
श्री लल्लू सिंहः
श्री पी. सी. मोहनः

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को भारत में परिसर स्थापित करने के लिए विदेशी विश्वविद्यालयों से आवेदन/प्रस्ताव/अभिरुचि प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो प्राप्त उक्त आवेदनों/प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और भारतीय विद्यार्थियों को सुनिश्चित वहनीय और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्राप्त करने के लिए निर्धारित मानकों का ब्यौरा क्या है;

(ग) विदेशी विश्वविद्यालयों से प्राप्त उक्त आवेदनों का आकलन करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) ऐसे विदेशी विश्वविद्यालयों द्वारा भारत में परिसर खोलने के लिए निर्धारित किए जा रहे मानदण्डों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार इसके लिए किसी नीति अथवा दिशा-निर्देशों पर कार्य कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या किसी विदेशी विश्वविद्यालय ने देश में अपने परिसर स्थापित करने की अभिरुचि व्यक्त की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विदेशी विश्वविद्यालय परिसर कब तक कार्य करेंगे?

उत्तर

भारत सरकार में राज्य मंत्री

(डॉ. सुभाष सरकार)

(क) से (च): केंद्रीय बजट 2022-23 में यह घोषणा की गई थी कि गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी (गिफ्ट सिटी) में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों को छोड़कर, विश्व स्तरीय विदेशी विश्वविद्यालयों और संस्थानों को घरेलू विनियमों से मुक्त

वित्तीय प्रबंधन, फिनटेक, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित पाठ्यक्रम प्रदान करने हेतु अनुमति दी जाएगी। विदेशी विश्वविद्यालय और संस्थान आईएफएससीए (अंतर्राष्ट्रीय शाखा परिसरों और ऑफ-शोर शिक्षा केंद्रों की स्थापना और संचालन) विनियम, 2022 में निर्धारित मानदंडों और मानकों के अनुसार गिफ्ट सिटी में अपने शाखा परिसर स्थापित कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया का डीकिन विश्वविद्यालय और वोलोंगोंग विश्वविद्यालय को गिफ्ट सिटी में अपना परिसर स्थापित करने के लिए आईएफएससीए से सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त हुआ है।

इसके अतिरिक्त, उच्च शिक्षा को अंतर्राष्ट्रीय आयाम प्रदान करने, भारतीय विद्यार्थियों को वहनीय लागत पर विदेशी अर्हताएं प्राप्त करने में सक्षम बनाने और भारत को एक आकर्षक वैश्विक अध्ययन गंतव्य बनाने के लिए विदेशी उच्च शिक्षण सस्थानों (एफएचईआई) के भारत में प्रवेश को सुगम बनाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा दिनांक 07.11.2023 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (भारत में विदेशी उच्च शिक्षण संस्थानों के परिसरों की स्थापना और संचालन) विनियम, 2023 अधिसूचित किए गए हैं। ये विनियम भारत में परिसर स्थापित करने के इच्छुक एफएचईआई अनुमोदन हेतु पात्रता और प्रक्रिया को विनिर्दिष्ट करते हैं और ये https://www.ugc.gov.in/pdfnews/Setting%20up%20and%20Operation%20of%20Campuses%20of%20Foreign%20Higher%20Educational%20Institutions%20in%20India.pdf पर उपलब्ध हैं।

*****